न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – **अरूण कुमार जैन, आर0 ए0 एस0**

मूल प्रार्थना पत्र संख्या– 259/2018 (पुराना) तथा 58/2022 इस न्यायालय का

दर्ज दिनांकः–28.06.2018

1. रघुवीर सिंह पुत्र ठा0 नारायण सिंह जाति राजपूत नि0 जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत नि0 जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फुलेरा हाल जोबनेर
2. नगर पालिका मण्डल जोबनेर जरिए
   2/1 अध्यक्ष नगर पालिका मण्डल जोबनेर
   2/2 अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका मण्डल जोबनेर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

उपस्थितः– 1. प्रार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित
2. अधिषाशी अधिकारी, न0पा0 जोबनेर
3. सरकार पैरोकार

–ःनिर्णयः– दिनांकः–05.07.2023

पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण पूर्व मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक के समक्ष लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 131, 132 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के आदेश क्रमांक सम/2022/4190–4200 दिनांक 11.10.2022 के द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी/अप्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मे प्रस्तुत किया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः– आराजी खसरा नं0 737 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा जो ग्राम ववेरवालों की ढाणी, पटवार हल्का जोबनेर तह0 फुलेरा हाल जोबनेर में स्थित थी। जिसकी तत्कालीन खातेदारी सुरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह, श्रीमति मांग कंवर बेवा श्री भंवर सिंह हिस्सा 1/2 रघुवीर सिंह पुत्र नारायण सिंह हिस्सा 1/2 दर हिस्सा 6281/7596 कौम राजपूत खंगारोत निवासी–जोबनेर, श्रीमति इन्द्र कंवर धर्मपत्नी शंकर सिंह जाति राजपूत खंगारोत जोबनेर 18/633 छितरमल चौपडा, लक्ष्मण चौपडा, गोपाल पुत्र लक्ष्मण चौपडा, गंगाराम पुत्र लक्ष्मण चौपडा जाति जाट सा0 कालख हिस्सा 42/633 श्रीमति चन्द्रकान्ता धर्मपत्नी तेजाराम जाति जाट बूरी गोत्र

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

सा0 भीखावास हिस्सा 1/36 गोविन्द राम सेपट पुत्र रामूराम सेपट जाति जाट नि0 कालख हिस्सा 30/633 अ2/633 उ 32/633 उपरोक्त अनुसार उक्त भूमि तत्कालीन खातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। उसीनुसार दर्ज हिस्से के मुताबिक खातेदार उपरोक्त भूमि का उपयोग-उपभोग करते आ रहे थे। उक्त भूमि को जरिये नामान्तकरण संख्या 651 दिनांक 04.10.2003 के उपरोक्त खसरा नंबर की भूमि को सवाईचक बिला लगानी दर्ज किया गया। तहसीलदार सांभरलेक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के तहत वर्ष 2002 मे खातेदारो द्वारा कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि को समर्पण करने पर ग्राम बबेरवालों की ढाणी, के अन्य खसरा नम्बरान् के साथ 737 का नामन्तकरण भी सवाईचक बिला लगानी का दर्ज किया गया। नगर पालिका मण्डल जोबनेर द्वारा उक्त खसरा नं0 व रकबा का इन्द्राज अपने नाम से दर्ज करवाना चाहा एवं नगर पालिका पैराफेरी क्षेत्र मे उपरोक्त भूमि स्थित होने से उक्त भूमि को राज्य सरकार के नाम रिकार्ड मे किस्म गैर मुमकिन आबादी दर्ज किया गया। प्रार्थी खातेदारो ने अपनी उक्त भूमि के दर्ज अनुसार न0पा0 मण्डल जोबनेर मे पट्टा प्रार्थी हेतु नियमानुसार आवेदन किया।

नगर पालिका मण्डल जोबनेर द्वारा पत्र क्रमांक न.पा.जो./2008-9/1017 दिनांक 30.07.2008 को मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवाने के लिए तहसीलदार सांभर लेक को प्रसंग प्राधिकृत अधिकारी सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट का पत्र दिनांक 26.02.2022 को आदेश दिये गये कि निर्णय की प्रति प्रेषित कर लेख है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करवायें किन्तु सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेशों की पालना 8 वर्षों तक नही की गई, जिससे राज्य सरकार का आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण जोकि भूमि खसरा नं0 737 के पूर्व खातेदार थे। जिनकी खातेदारी भूमि को राज्य सरकार के नाम सिवाईचक दर्ज की गई है एवं प्रार्थीगण उक्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि के अनुसार पट्टे जारी करवाने हेतु नगर पालिका मण्डल जोबनेर के नियमानुसार आवेदन कर चुके है एवं राशि जमा करवा चुके है। परन्तु नगर पालिका मण्डल जोबनेर द्वारा प्रस्तावित नक्शे मे उपरोक्त भूमि जहाँ का पट्टा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया है, पर ग्राम चिरनोटिया जाने का रास्ता दर्शाया गया है जबकि मौके पर रास्ता नहीं होकर ग्राम चिरनोटिया के लिए सी0सी0 सडक चौडाई 80 फीट रोड का निर्माण मुख्य सडक से होकर ग्राम चिरनोटिया व आगे की ओर जाने हेतु सडक निर्माण हो चुका है। पूर्व मे दर्शाए गये रास्ते की जगह पर न तो कभी सडक का निर्माण हुआ है न ही अब कोई सडक का निर्माण होना शेष है क्योकि मुख्य सडक जोबनेर-कालवाड रोड से मिलान करते हुये चिरनोटिया की ओर सी0सी0 सडक का खसरा नम्बर 737 मे

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

निर्माण हो चुका है एवं पूर्व मे दर्शाये रास्ते सडक के स्थान से दर्शित स्थान को जो सडक के लिए दर्शाया गया है को संबंधित नक्शे से व नगर पालिका मण्डल जोवनेर के मास्टर प्लान नक्शे से भी हटाया जाकर विलोपित किया जाना आवश्यक है, नक्शे मे दुरूस्ती, विलोपन न होने के कारण पट्टा पत्रावलीयों मे कार्यवाही नही हो रही है एवं शेष भूमि जिसका पट्टा भी प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है कि संबंध मे आवेदन करने से वंचित हो रहे है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत कर ख0नं0 737 जो ग्राम बबेरवालों की ढाणी पैराफेरी क्षेत्र नगर पालिका मण्डल जोबनेर मे स्थित है के संबंधित राजस्व नक्शे/नगर पालिका मण्डल जोबनेर मास्टर प्लान नक्शे मे वर्तमान मे स्थित चिरनोटिया रोड को दर्ज किये जाने के आदेश जारी करावें ताकि पूर्व मे दर्शाये प्रस्तावित रास्ते जो ना तो पूर्व मे कभी रास्ता रहा है ना ही वर्तमान मे कायम है को संबंधित रिकार्ड राजस्व नक्शे/नगर पालिका मण्डल जोबनेर के मास्टर प्लान नक्शे से विलोपित करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए नोटिस जारी होने पर अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री लोकेश पारीक द्वारा वकालतनामा दिनांक 16.08.2018 को पेश किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः— आराजी खसरा नं0 737 रकबा 3.09 बीघा भूमि नगरपालिका पैराफेरी में होने से नामान्तकरण संख्या 1454 दिनांक 16.11.2012 के द्वारा उक्त भूमि नगरपालिका जोबनेर के नाम दर्ज हुई। वर्तमान में उक्त भूमि नगरपालिका मण्डल जोबनेर के नाम दर्ज रिकार्ड है। खसरा नं0 737 के उत्तर दिशा में चिरनोटिया रोड है, जो मुताबिक नक्शा खसरा नं0 656 रकबा 4.19 बीघा किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है।

अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 23.06.2023 को पट्टा जारी करने की स्वीकृति चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नं0 737 एवं खसरा नं0 656 वाके ग्राम ववेरवालों की ढाणी के तहत आ रही भूमि की किस्म परिवर्तन करते हुए नगरपालिका जोवनेर को पट्टे जारी करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपस्थित। प्रार्थी संख्या 1 रघुवीर सिंह द्वारा बहस करने हेतु अनुमति चाही गयी। प्रार्थी को बहस करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी। प्रार्थी द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का उल्लेख किया साथ ही बहस के दौरान दस्तावेज पेश किया। प्रार्थी की बहस पत्रावली, एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

दस्तावेज प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प. 6(107)राज–3/19 दिनांक 17.12.2019 का अवलोकन किया गया। उक्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय नगरीय निकायों को आवंटित भूमि का उपयोग उनके द्वारा मास्टर प्लान के अनुसार आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत इत्यादि प्रयोजन हेतु किया जाना चाहिए। स्थानीय नगरीय निकाय के नाम जमावंदी में अंकित भूमि की किस्म इस हेतु प्रासंगिक नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दौराने बहस अवगत कराया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 02.06.2009 एवं अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 तथा राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 17.12.2019 के अनुसार नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित समस्त सिवायचक भूमियां नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जानी है।

अप्रार्थी संख्या 2 दिनांक 23.06.2023 को पट्टा जारी करने की स्वीकृति चाहने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का उल्लेख किया गया।

बहस पर चिन्तन–मनन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बतायी गयी अधिसूचना दिनांक 02.06.2009 एवं अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 तथा प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार का पत्र क्रमांक प. 6(107)राज–3/19 दिनांक 17.12.2019 का अवलोकन किया गया, अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जमाबंदी में अंकित भूमि में पट्टे जारी किए जाते है तो इसमें भूमि की किस्म प्रासंगिक नहीं है, अपितु मास्टर प्लान में निर्धारित भू–उपयोग महत्वपूर्ण है। अतः उक्त पत्र के संर्दभ में अप्रार्थी संख्या 02 दिनांक 24.06.2023 को दिए गये प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण के नाम पट्टे जारी करने की स्वीकृति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131. 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 को आदेशित किया जाता है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 तथा अधिसूचना दिनांक 08.12.2010 के परिप्रेक्ष्य में खसरा नं0 656 एवं खसरा नं0 737 की किस्म स्वतः परिवर्तित मानते हुए तथा प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं0 656 एवं खसरा नं0 737 में आवेदित पट्टे राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में जारी किए जावें। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जोवनेर को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/07/2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर